

पत्रावली पेश हुई/वकील दावे/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रिप्ले/अपार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/अन्य कार्य में व्यस्त हैं/अनुपस्थित हो गया है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23-6-15 को पेश होने के लिये अहमदपुर पर पेश हो।  
रीडर

25-3-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। वास्ते कायमी नकी पत्रावली दि० 6-5-15 को पेश हो।

6-5-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। वास्ते कायमी नकी पत्रावली दि० 28-5-15 को पेश हो।

28-5-15 पत्रावली पेश हुई/वकील दावे/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रिप्ले/अपार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/अन्य कार्य में व्यस्त हैं/अनुपस्थित हो गया है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23-6-15 को पेश होने के लिये अहमदपुर पर पेश हो।  
रीडर

23-6-15 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर अहमदपुर पर पेश हुई। वादिया व समस्त प्रतिवादीगण उपस्थित हैं। पक्षकारों की ओर से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया है कि रकम 36/76 रुबर, 46/0.59, 480/45 रुक्का 1.5 रुबर ग्राम जियापुर में भरने वाले पानी के निकास के लिये वादिया सन्तरा देवी मिट्टी के नीचे पाइप लगायी इन पाइपों से निकलने वाले पानी को प्रतिवादीगण नदी रोकेगे तथा पाइपों को नदी लौडेगे।

अतः प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार पक्षकारों के मध्य विचारार्थीन यह दावा निर्णित किया जाता है। पक्षकार प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार पार्षद रहेंगे। पचा डिक्री जारी किया जावे।  
पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं काद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रवि कुमार शर्मा)  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

31/7/25  
18/8/15

संतरा

रामेश्वर

अहमदपुर

निकासी

रुबर

निकाल

निका

उदयाप्रिय

चित्त

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के-नियम 6 और 7)

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हुक्म की तामील  
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) गंगापुत्रासिरी  
अहमदपुर

पीठासीन अधिकारी :- मुनिदेव यादव, R.A-3.

उनवान

पृष्ठ भाग पर अंकित है।

स्थान :- स्थान निषेधाज्ञा

ना नम्बर :- 103/2012

दिनांक :- 23-6-2015

वादी की ओर से सन्तरा देवी की व प्रतिवादी की ओर से रामधन वर्गौर  
स्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-6-2015 को मुनिदेव यादव (नाम पीठासीन अधिकारी).....

[K.M vf/kdkjh] के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया है और डिक्री दी जाती है कि -

नं० 36/443 रकबा 76 एयर, 0.59, 46/45 रकबा 15 एयर ग्राम जियापुर  
अग्ने वाले पानी के निकास के लिए वादिया सन्तरा देवी मिट्टी के  
पाइप लगाएगी। इन पाइपों से निकलने वाले पानी को प्रतिवादी गण  
रोकेंगे, पाइपों को नदी तोड़ेंगे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी



(मुनिदेव यादव)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
की फीस		कमिश्नर की फीस
का की तामील		
जोड़		जोड़

उत्तवान मुकदमा

सन्तारा देवी पत्नि कपूरसिंह जाति गुर्जर  
निवासी अहमदपुर तहसील गंगापूर सिटी -- वादिया  
वनाम

1. रामधन पुत्र गौरया
2. मन्नु पुत्र कल्लू
3. दनुमान पुत्र मिश्रया
4. रामसिंह पुत्र गौरया
5. गिरजि पुत्र मिश्रया
6. नन्दा पुत्र सांवरिया
7. प्रहलाद पुत्र फैली
8. धित्या पुत्र द्वाज्या

जाति श्कारवाल  
निवासी जियापुर  
तहसील गंगापूर सिटी

— — प्रतिवादीगण



  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान :- अहमदपुर

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 23/6/15

पीठासीन अधिकारी महोदय,

गंगापुर सिटी

सन्तरा देवी

बनाम

रामधन गौरा

103/2012

अन्तर्गत धारा

188 R.T. Act

प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री सन्तरा देवी  
है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो  
अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।  
आप अपनी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

36 रकबा 76 सयर 4.6 480  
413 रकबा 76 सयर 0.59 45 रकबा 15 सयर ग्राम जियापुर में करने  
पानी के निवास के लिए वादी सन्तरा देवी सन्तरा देवी के नीचे  
न लगायेगी इन पाइपों से निकलने वाले पानी को प्रतिवादी गण नदी  
पाइपों को नदी तीरे में। इसी अनुसार दावे का निर्णय कर दिया  
गया।

इस निवेदन से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

सन्तरा देवी

प्रतिवादी पक्ष

1. रामधन पुत्र गौरा, सारवाल, जियापुर
2. मन्मथ कल्लू, सारवाल, जियापुर
3. रामसिंह पुत्र गौरा

सन्तरा देवी

प्रधानाचार्य  
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय  
अहमदपुर (अलीगंज) जिला-स.मा.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर  
(प्रतिवादी पक्ष) नाम  
रवि कुमार शर्मा

सन्तरा देवी

एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी रामधन गौरा

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ  
करा गया। अतः राजीनामा हरबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल भिस्तल रहे।

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(रवि कुमार शर्मा)

सदस्य

लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी